इनके अतिरिक्त दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को कवर करने के लिए दो गश्ती दल तैनात किए गए हैं ।

डीजल से चलने वाले वाहन :
(1) निरीक्षण यूनिट–बुराड़ी 2

(ख) और (ग) दिल्ली मोटरयान नियम, 1940 के अनुसार 1–4–89 से 30–6–89 के दौरान दिल्ली प्रशासन ने यानों के धुएं के स्तर की जांच की है जो इस प्रकार हैं :—

| | कुल | उपयुक्त | अनुपयुक्त |
|---|---|---|---|
| जांचे गए माल वाहनों की संख्या | 15602 | 10826 | 4776 |
| जांची गई ऑटो-रिक्शाओं की संख्या | 12419 | 8730 | 3689 |

जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 के दौरान 14303 वाहनों का अधिक धुआं छोड़ने के लिए चालान किया गया था ।

(घ) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अनुसार मोटर यानों के धुआं उत्सर्जन स्तर की जांच करने संबंधी नियम 1–10–89 से लागू हुए । राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे इन नियमों को अमल में लाने के लिए स्वयं को आवश्यक उपस्कर/मशीनों से लैस कर लें ।

**राजस्थान में रेलवे स्टेशनों की दशा में सुधार करने के लिए सर्वेक्षण**

889. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राजस्थान राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की दशा सुधारने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित सुधार कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

**रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) स्टेशनों का सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और जिसे आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो । राजस्थान में स्टेशनों का इसी आधार पर उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है ।

**राजस्थान के स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए धनराशि की स्वीकृति**

890. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राजस्थान के पिछड़े इलाकों में स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने का विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) और (ख) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां संस्वीकृत करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, स्कूल भवनों के निर्माण को सुकर बनाने के लिए राज्य को निम्नलिखित रूप में सहायता प्रदान की गई है :—

1. 9वें वित्त आयोग ने वर्ष 1989-90 से संबंधित अपनी प्रथम रिपोर्ट में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए

1936 लाख रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

2. सीमा क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्कूल भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1051.01 लाख रु० की राशि मुक्त की गई है।

**राजस्थान में रेलवे लाइनों पर उपरिपुल**

891. **श्री सन्तोषबागड़ोदिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष के दौरान सरकार का रेलवे लाइनों पर उपरिपुल बनाने का विचार है; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां रेल लाइनों पर उपरिपुल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है?

**रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) बड़ा गोदाम सेवर, कोटा, दौसा, अलवर और बीकानेर (रानी बाजार) में छः स्थानों पर ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इस समय बीकानेर (रानी बाजार) और दौसा में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अन्य निर्माण कार्य योजना स्तर पर हैं।

(ख) बीकानेर (जंक्शन रोड) मंडोर, हनुमानगढ़, श्री गंगा नगर और रींगस में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण को यातायात के घनत्व के मानदण्डों के आधार पर आवश्यक समझा जाता है।

**Involvement of Government Officials in the Issuance of Customs Duty Exemption Certificates**

928. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Bureau of Investigation has under investigation alleged involvement of some officials in the Ministry of External Affairs on the issuance of Customs duty exemption certificates;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken against those involved in the "fraud"?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) and (b) Following reports of the used of forged/illegal Customs Duty Exemption Certificates, the CBI was requested by the Ministry of External Affairs to verify the matter. The matter is under verification by the CBI. Pending the results of CBI's verification, it would be premature to allege involvement of any officials of the Ministry of External Affairs.

(c) Does not arise.

**Flaws Detected in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987**

893. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the serious flaws detected by some women's organisations in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, as reported in the Time of India dated the 15th December, 1987;

(b) whether Government have considered these shortcomings; and

(c) if so, whether Government propose to introduce a fresh Bill to improve the existing legislation and for removing all the flaws therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Government are aware of the report in the Times of India dated 15th December, 1987.